

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• बाबूलाल पुत्र गणेश जाति लखेरा निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज व अन्य ।
-प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान अन्य ।

-अप्रार्थीगण ।





किस्म मुकदमा- धारा 131, 132, 136 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 53/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/62

वकील प्रार्थी :- रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02/7/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 131,132, 136 भूराज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.07.2024 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अराई	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थीगण उप.। पत्रावली दिनांक 19/7/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अराई	
06/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्तव तलबी इन्चार्ज पत्रावली दिनांक 18/10/2024 को पेश हो। आज बार एम. विश्वनाथ द्वारा कार्य समान अन्तर्गत। 	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थीगण उप.। दिनांक 18/10/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अराई	

नंबर व तारीख
अहमकाम जो इस
के की तारीख
के हुए

10/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान् उप०।
वास्तु तलवी कपानी की हेतु पत्रावली
दिनांक 10/10/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

10/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान् उप०। पत्रावली
वास्ते तलवी तथा मौख जांच रिपोर्ट हेतु। दिनांक
31/10/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

31/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान् उप०।
मौख जांच रिपोर्ट हेतु।
पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई

29/11/24

पत्रावली पेश हुई आज
की ओर से कार्य रथमान रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/24 को
पेश हो।

पत्रावली पेश
जाय

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

13/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान् उपस्थित।
पेशेबाद जबाब तथा पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वाकी का वाद खारिज किया जाकर
निर्णय पुस्तक से तैयार कर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली केवल 20 नमबर होकर
नमबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)